न्यायालय जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

(1) राजस्व अपील सं0 11/2024
रामखिलाडी पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी ग्राम लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
..... अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
2. उपतहसीलदार बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

...रेस्पों0

(2) राजस्व अपील सं0 12/2024
शिवराम पुत्र धन्ना जाति माली, निवासी ग्राम लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
..... अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
2. उपतहसीलदार बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

...रेस्पों0

(3) राजस्व अपील सं0 13/2024
मुथरेश पुत्र मदन जाति मीना निवासी ग्राम लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
..... अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
2. उपतहसीलदार बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

...रेस्पों0

(4) राजस्व अपील सं0 14/2024
हजारी पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी ग्राम लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
..... अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

...रेस्पों0

(5) राजस्व अपील सं0 15/2024
मेधराज उर्फ जगराम पुत्र रंगलाल जाति मीना निवासी ग्राम करोडी, तहसील सिकराय जिला दौसा
..... अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

...रेस्पों0

(6) राजस्व अपील सं0 16/2024
रामोतार पुत्र प्रसादी जाति माली निवासी ग्राम लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
..... अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
2. उपतहसीलदार बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

... रेस्पों0

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:32:50 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

(7) राजस्व अपील सं0 17/2024

जगदीश पुत्र हजारी जाति मीना निवासी ग्राम लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

..... अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
2. उपतहसीलदार बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

...रेस्पों0

(8) राजस्व अपील सं0 18/2024

बच्चूसिंह पुत्र मन्नू जाति मीना निवासी ग्राम लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

..... अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
2. उपतहसीलदार बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

...रेस्पों0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 4.5.2021 व दिनांक 7.6.2024 जो तहसीलदार बैजूपाडा व उप तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध प्रकरण सं0 49/2021, 24/2021, 47/2021, 18/2021, 20/2021, 26/2021, 40/2021, 43/2021 में पारित किये गये है।

उपस्थितः—1. श्री मिट्ठन लाल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

दिनांक 24.12.2024

निर्णय

1. उक्त सभी अपीलों के तथ्य एवं विषयवस्तु लगभग एक समान है। अतः इन सभी अपीलों का निस्तारण एकल निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।
2. उक्त सभी अपीलों में तहसीलदार बैजूपाडा व उपतहसीलदार बैजूपाडा को पक्षकार बनाया गया है।
3. उक्त सभी अपीलों में अपीलांट्स के द्वारा तहसीलदार बैजूपाडा व उपतहसीलदार बैजूपाडा द्वारा निर्णय जो कि प्रकरण सं0 प्रकरण सं0 49/2021, 24/2021, 47/2021, 18/2021, 20/2021, 26/2021, 40/2021, 43/2021 में दिनांक 4.5.2021 व 7.6.2024 को पारित किये गये है, से व्यथित होकर उक्त निर्णयों को निरस्त करने हेतु यह अपीलें प्रस्तुत की गई है।
4. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपीलो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का लोटवाडा द्वारा उप तहसीलदार बैजूपाडा के समक्ष ग्राम लोटवाडा तहसील बैजूपाडा के राजकीय चरागाह भूमि 1317, 1319 व 1320 की रिपोर्ट अपीलांट्स के विरूद्ध उपतहसीलदार बैजूपाडा के समक्ष पेश की गई कि अपीलांट्स ने ग्राम लोटवाडा के राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 1317, 1319 व 1320 पर पुख्ता दुकान, मकान बनाकर एवं टीनशेड डाल कर अतिचार किया है। अधीनस्थ उपतहसीलदार बैजूपाडा द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही मनमानी पूर्ण एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित... अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरुद्ध विधि विधान, प्रक्रिया होने ... खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदारकुण्डल का निर्णय प्राकृतिक न्याय के नियम एवम सामान्य न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध एकतरफा में मनमानी पूर्वक विधि विरुद्ध जारी फरमाया गया है, जो कानूनन कतई गलत है काबिले खारिज है। महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को अतिक्रमी मानते हुए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है।

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:32:50 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

अपीलांट्स के विरूद्ध बिना कोई अतिचार साबित हुए ही वैगपूर्ण आज्ञा भारी शास्ति एवं बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से यह भी ज्ञात नहीं होता है कि अपीलांट्स के द्वारा चरागाह भूमि के किस भाग पर कितनी लंबाई व चौडाई पर अतिचार किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट स्वयं ही अस्पष्ट एवं एकतरफा है। पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की रिपोर्ट करने से पूर्व ना तो सीमाज्ञान करवाया है। अपीलांट्स ने किसी भी राजकीय चरागाह भूमि पर कोई दुकान/मकान व टीनशैड बनाकर अतिचार नहीं किया है। मिसल के अवलोकन से भी चरागाह भूमि पर अतिचार किया जाना सिद्ध नहीं होता है। मिसल में ना तो पटवारी हल्का के बयान लिये गये और ना ही समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलांट्स को न्याय हित में निर्णय पारित करने से पूर्ण समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। यदि अपीलांट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये दुकानों एवं मकान से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट्स का जीवन बरबाद हो जावेगा और अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होगी। न्याय हित में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मय दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने एवं पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर दिलवाया जावे ताकि सही न्याय निर्णय हो सके। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही अपीलांट्स के समक्ष कोई मौका देखा गया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार व उपतहसीलदार बैजूपाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.5.2021 व 7.6.2024 को निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण रिमांड फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का लोटवाडा द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त बैजूपाडा से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट्स में से अधिकांश अपीलांट्स अथवा उनके वारियान बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट्स ने राजकीय चरागाह भूमि पर पुख्ता दुकान, मकान, टीनशैड व तारबंदी लगाकर अतिचार किया है। अपीलांट्स अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।
6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उप तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 4.5.2021 एवं 7.6.2024 के द्वारा अपीलांटस को ग्राम लोटवाडा तहसील बैजूपाडा के राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 1317, 1319 व 1320 पर पुख्ता दुकान, मकान बनाकर एवं टीनशेड डाल कर अतिचार करने पर अतिकमियों को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं आरोपित शास्ति से दंडित करने का आदेश पारित किया गया था जिससे व्यथित होकर यह अपीलें प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस जारी कर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत तरीके से अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पारित किया गया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। हम अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:32:50 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। तहसीलदार/उप तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.5.2021 एवं 7.6.2024 जो कि मिसल नं0 49/2021, 24/2021, 47/2021, 18/2021, 20/2021, 26/2021, 40/2021, 43/2021 में पारित किये गये है को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। मूल निर्णय राजस्व अपील सं0 11/2024 में रखा जावे एवं शेष राजस्व अपील सं0 12/2024 से 18/2024 में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24 दिसंबर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि धि में की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:32:50 IST
Reason: SelfAttested